न्यायालय : राजेश नंदेश्वर, 15वां अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

Registration No.- ST/655/2016
Filing No.- 21173/2016
CNR No.- MP20010276792016
Filing Date- 27.10.2016
Registration Date- 02.11.2016
FIR No.- 455/2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा
थाना प्रभारी, थाना पनागर,
जबलपुर, (म.प्र.)

.....अभियोजन

बनाम

1. सौरभ मिश्रा पिता स्व. सुभाष मिश्रा,
   उम्र लगभग 32 वर्ष,
2. मोतीलाल बर्मन पिता रामकुमार बर्मन,
   उम्र लगभग 37 वर्ष,
3. अतुल उर्फ चिंटू पिता मदन दुबे,
   उम्र लगभग 25 वर्ष,
4. संदीप राय पिता सम्पत राय,
   उम्र लगभग 34 वर्ष,
5. लालू श्रीवास पिता प्रभुदत्त श्रीवास,
   उम्र लगभग 32 वर्ष,
6. भद्दू गोंटिया पिता काशीराम गोंटिया,
   उम्र लगभग 22 वर्ष,
7. सन्तोष कोल पिता नन्हेलाल कोल,
   उम्र लगभग 33 वर्ष,
   सभी निवासी– सिलौड़ी, थाना ढीमरखेड़ा,
   जिला कटनी (म.प्र)

.....अभियुक्तगण

अभियोजन	:–	श्री अरविंद जैन ए.जी.पी.।
अभियुक्त अतुल	:–	श्री राधेश्याम गुप्ता अधिवक्ता।
शेष अभियुक्तगण	:–	श्री ओमशंकर पाण्डे अधिवक्ता।

FORM - E

Date of Offence	12.06.2016
Date of FIR	13.06.2016
Date of Charge sheet	24.09.2016
Date of Framing of Charges	17.11.2016, 28.04.2017, 11.05.2018, 10.02.2021
Date of commencement of evidence	11.01.2017
Date of which judgment is reserved	08.09.2023
Date of the Judgment	08.09.2023
Date of the Sentencing Order, if Any	

ACCUSED DETAILS:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	Sourabh Mishra	28.06.2016	17.10.2016	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		3 month 20 days
2.	Motilal Barman	19.09.2016	26.10.2016	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		1 month 8 days
3.	Atul @ Chintu Dubey	06.06.2017	06.06.2017	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		-----
4.	Sandeep Rai	21.02.2017	25.02.2017	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		5 days
5.	Lalu Shriwas	14.02.2017	17.02.2017	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		4 days
6.	Bhaddu Gontiya	19.03.2020	29.06.2020	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		3 months 11 days

7.	Santosh Kol	18.03.2020	29.06.2020	धारा 302 सहपठित 149 भा.दं.सं.	Acquitted		3 months 12 days

प्रारूप–च
अभियोजन साक्षियों की सूची

A. Prosecution

No.	Name	Nature of Evidence (Eye witnesses, Police witnesses, Expert witnesses, Medical/doctor Witnesses, Formal witnesses etc.)
P.W.-01	Santosh Sharma	Witness of memorandam, seazer, arrest & search memo
P.W.-02	Sarman @ Pappu Rai	Witness of seazer, arrest memo & hear say
P.W.-03	Sarman @ Bhimma	Eye Witness
P.W.-04	Basant Maravi	Witness of hear & say
P.W.-05	Sacchu @ Santram	Eye Witness
P.W.-06	Bahadur Rai	Witness of arrest & search memo
P.W.-07	Dr. Virendra Maravi	Dr. witness for done P.M.
P.W.-08	Anari Kori	Witness of seazer memo
P.W.-09	R.S. Bagri	Police Witness for Safina, Panchayatnama
P.W.-10	Dharmendra Rai	Witness brother in law of deceased, F.I.R. Longe
P.W.-11	K.P. Yadav	Police witness I.O.
P.W.-12	Lal Bahadur Singh	Police witness of seazer memo
P.W.-13	Jagdeesh Kumar Yadav	Police witness I.O., F.I.R. Longe

प्रारूप–च
प्रतिरक्षा साक्षियों की सूची

No.	Name	Nature of Evidence (Eye witnesses, Police witnesses, Expert witnesses, Medical/doctor, Witnesses, Formal witnesses etc.)
D.W.-01	-	-
D.W.-02	-	-
D.W.-03	-	-

प्रारूप–च
न्यायालयीन साक्षियों की सूची

No.	Name	Nature of Evidence (Eye witnesses, Police witnesses, Expert witnesses, Medical/doctor, Witnesses, Formal witnesses etc.)
C.W.-01	---	---
C.W.-02	---	---
C.W.-03	---	---

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

A. Prosecution

S.No.	Exbit No.	Description
01.	Ex.P. 01/P.W.-01, 06, 11	अभियुक्त सौरभ मिश्रा का मेमोरण्डम
02.	Ex.P. 02/P.W.-01, 06	तलाशी पंचनामा
03.	Ex.P. 03/P.W.-01, 02, 11	अभियुक्त मोतीलाल का मेमोरण्डम
04.	Ex.P. 04/P.W.-01, 02, 11	जप्ती पत्रक
05.	Ex.P. 05/P.W.-01, 05, 11	अभियुक्त मोतीलाल का गिरफ्तारी पत्रक

06.	Ex.P. 06/P.W.-01, 06, 11	अभियुक्त सौरभ मिश्रा गिरफ्तारी पत्रक
07.	Ex.P. 07/P.W.-01	साक्षी संतोष शर्मा का पुलिस कथन
08.	Ex.P. 08/P.W.-02	साक्षी सरमन उर्फ पप्पू राय का पुलिस कथन
09.	Ex.P. 09/P.W.-03	साक्षी सरमन उर्फ भिम्मा का पुलिस कथन
10.	Ex.P. 10/P.W.-06	साक्षी बहादुर राय का पुलिस कथन
11.	Ex.P. 11/P.W.-07, 09	शव परीक्षण आवेदन व रिपोर्ट
12.	Ex.P. 12/P.W.-08, 13	जप्तीपत्रक
13.	Ex.P. 13/P.W.-08	साक्षी अनारी कोरी का पुलिस कथन
14.	Ex.P. 12A/P.W.-09, 10	मृत्युजांच में उपस्थिति हेतु दिया गया नोटिस
15.	Ex.P. 13A/P.W.-09, 10	नक्शा पंचायतनामा
16.	Ex.P. 14/P.W.-10, 13	देहाती प्रथम सूचना पत्र
17.	Ex.P. 15/P.W.-10	साक्षी धर्मेन्द्र राय का पुलिस कथन
18.	Ex.P. 16/P.W.-12	जप्ती पत्रक
19.	Ex.P. 17/P.W.-13	मृत्यु की जानकारी पर धारा 174 सीआरपीसी के तहत जीरो कायमी
20.	Ex.P. 18/P.W.-13	घटनास्थल का नजरी नक्शा
21.	Ex.P. 19/P.W.-13	असल अपराध कायमी
22.	Ex.P. 20/P.W.-13	जप्ती पत्रक
23.	Ex.P. 21/P.W.-13	सौरभ मिश्रा के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन
24.	Ex.P. 22, 23/P.W.-13	जप्तशुदा मुद्देमाल पुलिस अधीक्षक के माध्यम से परीक्षण हेतु भेजे जाने का ड्राफ्ट
25.	Ex.P. 24/P.W.-13	65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
26.	Ex.P. 25, 27/P.W.-13	अभियुक्त अतुल व लालू के गिरफ्तारी पत्रक
27.	Ex.P. 28/P.W.-13	वाहन क्र. एम.पी.–20–बी.ए.–2140 की जानकारी हेतु प्रमोद मेहरा को लिखा गया पत्र
28.	Ex.P. 29/P.W.-13	वाहन क्र. एम.पी.–20–बी.ए.–2140 के वाहन मालिक प्रमोद मेहरा द्वारा प्रेषित् पत्र
29.	Ex.P. 30, 31	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर से प्राप्त

	/P.W.-13	रिपोर्ट
30.	Article A-1 to A-3/P.W.-12	तीन एक्स–रे प्लेट
31.	Article A-1A/P.W.-13	मोबाईल नंबरों की सीडीआर, कुल 82 पृष्ठों में
32.	Article A-2A, A-3A/P.W.-13	मृतक के शरीर से निकाली गई दो गोलियां
33.	Article A-4 to A-6/P.W.-13	मृतक के कपड़े, सैंडल, बनियान, जींस, पेंट, अंडरवियर
34.	Article A-7, A-8/P.W.-13	खून आलूदा व सादा मिट्टी
35.	Article A-9 to A-11/P.W.-13	मोटरसाईकिल क. एम.पी.–20–एम.ई.–2754 में लगे खून की दो स्लाईड व एक सादी स्लाईड

प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

B. Defense

S.No.	Exbit No.	Description
01.	Ex.D. 1/P.W.-11	हैवियस कॉर्पस रिट पिटीशन क. 11043/2016 की सत्यप्रतिलिपि
02.	Ex.D. 2/P.W.-11	अभियुक्त सौरभ मिश्रा के नाम का आपराधिक रिकार्ड

.....

श्री नीरज मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर (म.प्र.), श्री प्रहलाद सिंह कैमेथिया अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.) एवं श्री आशीष ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर (म.प्र.) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक–5505/2016 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र पनागर बनाम सौरभ मिश्रा व अन्य अपराध कमांक 455/2016 अंतर्गत् धारा 302, 34 भा.दं.सं. में पारित पृथक–पृथक उपार्पण आदेश दिनांक 21.10.2016, 03.04.2017, 23.01.2018 व 27.06.2020 से उद्भूत।

.....

निर्णय
(आज दिनांक 08.09.2023 को घोषित् किया गया)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.दं. सं. का आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.06.2016 को 16.00 बजे के लगभग ग्राम कसीर नहर की रोड थाना पनागर जिला जबलपुर में 5 से अधिक सहअभियुक्तगण ने एक–दूसरे के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं उक्त जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में मनीष चौकसे की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुये कि उनके कार्य से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, मनीष चौकसे को अभियुक्तगण में से किसी ने कट्टा से गोली मारकर एवं चाकू से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या कारित की।।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है।

3. अभियोजन प्रकरण का सार है कि दिनांक 12.06.2016 को शाम को लगभग 4.00 बजे गुरूनानक वार्ड पनागर निवासी धर्मेंद्र राय को ग्राम कसही के पप्पू राय ने मोबाईल फोन से सूचना दी कि ग्राम कसही नहर की रोड पर मनीष पिता कैलाश चौकसे उम्र 40 वर्ष निवासी गुरूनानक वार्ड पनागर की अज्ञात दो लड़कों ने कट्टा से गोली मारकर एवं चाकू से मारपीट कर हत्या की है। इसलिये उक्त धर्मेंद्र ने तत्काल मौके पर जाकर उक्त पप्पू राय व नहर में नहाने वाले दो लड़को से पूछताछ किया तो उसे पता चला कि एक मोटर सायकल से 2 लड़के पनागर की ओर से आये थे, जिनके पीछे एक सफेद रंग की गामा गाड़ी व तूफान जैसी गाड़ी आई थी, उनमें कुल लड़के बैठे थे, जो नहर की रोड से थोड़ी दूर खड़े थे, तब मोटरसायकल के 2 लड़को ने मनीष को नहर में नहाने वाले लड़को पर पत्थर फेंककर मारने से मना किया एवं मनीष पर कट्टा से फायर कर व चाकू से मारपीट कर मनीष की हत्या की एवं मोटरसायकल से ग्राम महगवां रांझी की ओर भाग गये एवं उक्त गामा व तूफान जैसी गाड़ी भी उनके पीछे भाग गयी। इस पर उपरोक्त घटना की सूचना तत्काल उक्त धर्मेंद्र ने थाना पनागर को मोबाईल फोन से दी।

4. इस पर तत्काल थाना पनागर के उपनिरीक्षक जे.के. यादव ने मौक पर जाकर मृतक का शव देखा एवं उक्त धर्मेंद्र से पूछताछ कर उक्त घटना की देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें यह भी लेख किया कि उक्त मनीष की लाश देखी जो नहर की रोड पर चित पड़ी है, जिसके पास मनीष की मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी.–20–एम.ई.–2754 पल्सर काले रंग की खड़ी है, जिसमें सामने की ओर खून लगा है, उसके पेट में दो जगह चाकू की चोट के निशान हैं, बायीं तरफ बखा के पास कट्टा से गोली के निशान हैं, पीठ में दाहिनी ओर दो जगह चाकू की चोट के निशान हैं, खून निकला है, उसकी बनियान में चोट की जगह कट का निशान व खून लगा है, उन लड़कों का हुलिया उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष, एक लड़के का रंग गोरा है, जो सफेद शर्ट नीला फुलपेंट पहना है, दूसरा लड़का सावला रंग का बैग पीछे टंगा था, उसने आस–पास पता किया तो मारने वालों का पता नहीं चला, मनीष मवेशी क्रय–विक्रय का काम करता था, जो पप्पू राय के साथ पल्सर मोटरसायकल नंबर एम.पी–20–एम.ई–2754 से पनागर से दिन में लगभग 3.00 बजे ग्राम कसही गया था। उक्त घटना की सूचना मिलने पर दशरथ खटीक, दीपक राय, अनारी कोरी व अन्य लोग आये थे। उक्त देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् मौक पर आवश्यक कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। इसके पश्चात् उक्त उपनिरीक्षक ने वापस थाना पनागर आकर उक्त घटना दिनांक 12.06.2016 की रात्रि में अर्थात् दिनांक 13.06.2016 की रात्रि 00.25 बजे अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 455/2016 पर धारा 302, 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

5. उपरोक्त के पश्चात् विवेचना में 7 अभियुक्तगण सहित अन्य 5 अभियुक्तगण सहित कुल 13 अभियुक्तगण ने ही उक्त अपराध कारित करना पाकर अभियुक्तगण सौरभ मिश्रा को दिनांक 28.06.2016 को गिरफ्तार किया एवं मोतीलाल बर्मन को दिनांक 19.09.2016 को गिरफ्तार किया। साथ ही शेष अभियुक्तगण सतेंद्र पांडे, संदीप राय, लालू श्रीवास, अतुल उर्फ चिंटू दुबे, संतोष गोलू कोल, भद्दू कोल, बहादुर कोल, अक्षय सेन, नीरज बागरी, छुटका उर्फ छिलरा, एवं एक अन्य लड़का जो बहादुर के साथ आया था, को फरार होना पाकर उनके विरूद्ध धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत विवेचना शेष होना लेखकर अभियुक्त सौरभ मिश्रा व मोतीलाल बर्मन के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र क्रमांक 01/2016 दिनांक 24.09.2016 संबंधित जे.एम.एफ.सी.

न्यायालय जबलपुर के समक्ष दिनांक 24.09.2016 को प्रस्तुत किया। जो उपार्पण आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा उपार्पित किये जाने पर माननीय सत्र न्यायाधीश जबलपुर के आदेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा नवम अपर सत्र न्यायालय जबलपुर को अंतरित हुआ एवं विचारण प्रारंभ हुआ।

6. उपरोक्त के पश्चात् दिनांक 13.02.2017 को अभियुक्त लालू पिता प्रभुदत्त श्रीवास ने अपने अधिवक्ता के साथ तत्कालीन जे.एम.एफ.सी. जबलपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 14.02.2017 को केस डायरी तलब करने पर संबंधित तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की अनुमति लेकर उसे गिरफ्तार किया एवं उसे पुलिस रिमांड पर प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 16.02.2017 को पेश करने पर उसे न्यायिक निरोध में भेजा गया। इसीप्रकार दिनांक 20.02.2017 को अभियुक्त संदीप राय पिता संपत राय ने भी अपने अधिवक्ता के साथ तत्कालीन जे.एम.एफ.सी. जबलपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.02.2017 को केस डायरी तलब करने पर संबंधित तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की अनुमति लेकर उसे गिरफ्तार किया एवं उसे पुलिस रिमांड पर प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 22.02.2017 को पेश करने पर उसे न्यायिक निरोध में भेजा गया। इसके पश्चात उक्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत होने पर दिनांक 03.04.2017 को उपार्पित किया गया, जो माननीय सत्र न्यायाधीश जबलपुर के आदेश दिनांक 13.04.2017 द्वारा नवम् अपर सत्र न्यायालय जबलपुर को अंतरित होने पर विचाराधीन रहा।

7. अभियुक्त अतुल उर्फ चिंटू दुबे द्वारा धारा 438 दं.प्र.सं. का अग्रिम जमानत का आवेदन माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 5929/2017 आदेश दिनांक 25.05.2017 द्वारा स्वीकार होने पर उसके दिनांक 06.06.2017 को थाना पनागर में उपस्थित होने पर उसे फार्मल गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया एवं उसके विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दिनांक 21.12.2017 को तत्कालीन ए.सी.जे.एम. जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर तत्कालीन जे.एम.एफ.सी. जबलपुर ने दिनांक 23.01.2018 को उपार्पित किया, जो माननीय सत्र न्यायाधीश जबलपुर के आदेश दिनांक 09.02.2018 द्वारा नवम अपर सत्र न्यायालय जबलपुर को अंतरित होने पर विचाराधीन रहा।

8. उपरोक्त के पश्चात् प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश जबलपुर के आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा है। उक्त प्रकरण के इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते दौरान अभियुक्त गोलू उर्फ संतोष कोल को दिनांक 18.03.2020 को रात्रि 22.05 बजे गिरफ्तार कर एवं अभियुक्त भद्दू गोटिया को दिनांक 19.03.2020 को दिन में 12.45 बजे गिरफ्तार उसी दिनांक को दोनों अभियुक्त को तत्कालिन जे.एम.एफ.सी. जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्हें निरोध में भेजा गया। पश्चात् उनके विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र दिनांक 15.06.2020 को प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.06.2020 को उपार्पित किया गया, जो माननीय सत्र न्यायाधीश जबलपुर के आदेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा है।

9. प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. का आरोप विरचित कर प्ली अंकित की, जिसे अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर विचारण चाहा। विचारण पश्चात् अभियुक्त कथन विरचित करने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना बताकर बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

10. मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) क्या घटना दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव कर ऐसे विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते अभियुक्तगण में से किसी ने मृतक मनीष चौकसे पर कट्टे से फायर कर कट्टे की गोली व चाकू से मारकर उक्त मृतक की कारित मृत्यु हत्या नहीं होकर आपराधिक मानववध है ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.06.2016 को लगभग 16:00 बजे ग्राम कसही नहर की रोड, थाना पनागर जिला जबलपुर में कुल पांच से अधिक अभियुक्तगण ने एक–दूसरे के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं उस जमाव के सामान्य आशय के अग्रसरण में मनीष चौकसे की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुए कि ऐसे

कार्य से उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, मनीष चौकसे को अभियुक्तगण में से किसी ने कट्टा से गोलू मारकर एवं चाकू से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की?

सकारण निष्कर्ष

11. अभियोजन तर्फे तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से घटना दिन, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने ही उक्त मृतक के साथ घटना कारित करना प्रमाणित है, जिसमें अभियुक्तगण की शिनाख्तगी करना व न्यायालय में उन्हें पहचानना भी प्रमाणित है। अभियुक्तगण के शिनाख्तगी की भी इसकी तस्दीक की है, जप्ती व मेमोरेण्डम के साक्षियों ने भी अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम द्वारा घटना कारित करने का कथन करने के स्वीकारोक्ति करने की पुष्टि की है। विवेचना अधिकारी ने समग्र की पुष्टि की है। इस संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों का खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं होकर पुष्टि हुई है। एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट से भी मृतक की मृत्यु उसे मारी गई कट्टे के बुलेट से एवं चाकू से मारने से आई उपहति से होना प्रकट है। अभियुक्तगण द्वारा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में लिये गये प्रतिरक्षा आधार के प्रतिप्रश्नों की विषय–वस्तु को बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कर प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण अभियोजन ने समग्र प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्णतः युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित किया है। इसलिये अभियुक्तगण को उल्लेखित धाराओं के अपराध में उनके अपराध को देखते हुये अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

12. अभियुक्तगण की ओर से किये गये तर्क का सार है कि अभियोजन तथ्य अनुसार अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित करने की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। स्वतंत्र साक्षियों ने भी घटना की पुष्टि नहीं की है। जप्ती, गिरफ्तारी सहित मेमोरेंडम की कार्यवाही के साक्षी पक्षविरोधी रहे होकर अपने सामने होने से इंकार किया है। उपरोक्त कारण से अभियोजन ने अपना प्रकरण पूर्णतः युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण अभियुक्तगण को सभी आरोपित धाराओं से दोषमुक्त किया जाये।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 :–

13. उभयपक्ष के तर्क पर विचार एवं अभियोजन साक्ष्य सह अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि तीनों विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे पर आधारित होने से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

14. अ.सा.–10 धर्मेंद्र राय ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानता नहीं है, मृतक मनीष चौकसे को वह जानता था। उसकी पनागर में फर्नीचर इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान है। घटना वर्ष 2016 की है, तब वह पनागर में था तब उसे मोबाईल पर सूचना मिली थी कि उसके साले मनीष चौकसे की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या की है। इस पर वह घटनास्थल ग्राम कसही गया, जहां मृतक मनीष चौकसे को नहर के उपर मृत अवस्था में पड़ा हुआ पाया था एवं पुलिस वाले भी मौजूद थे। तब पुलिसवालों ने मनीष के शव का पंचनामा प्रदर्श पी–13 बनाया था और पंचनामा बनाने का आवेदन प्रदर्श पी–12 बनाया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तब उसने पुलिसवालों को घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट देहाती नालसी प्रदर्श पी–14 होकर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। परंतु घटना कैसे हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। पुलिसवालों ने उससे पूछताछ की थी।

15. उक्त साक्षी अ.सा.–10 धर्मेंद्र राय के उक्त साक्ष्य कथन पश्चात् अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी–14 के देहाती नालसी दर्ज कराते समय पुलिस को यह नहीं बताया था कि पप्पू राय और नहर में नहाने वाले दो लड़कों ने उसे मोटरसाईकिल से दो लड़के पनागर की ओर से आकर उनके पीछे एक गामा गाड़ी में बहुत से लड़के आए और मोटरसाईकिल में बैठे लड़को ने कट्टे से फायर कर मनीष चौकसे की हत्या की है, बाबत् जानकारी नहीं दी थी। उक्त बात उसने प्रदर्श पी–14 के बी से बी भाग में नहीं बताई थी। उसने उक्त प्रदर्श पी–14 में सी से सी भाग पर घटना कारित करने वाले लड़कों का हुलिया भी नहीं बताया था। इसी प्रकार प्रदर्श पी–15 का ए से ए भाग का कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था। उक्त बयान में उसने मोटरसाईकिल पर आए दो लड़कों का हुलिया नहीं बताया था। इसी प्रकार उसने उक्त बयान

में सौरभ मिश्रा ने ही अपने मित्र के साथ मोटरसाईकिल पर आकर मनीष चौकसे की गोली मारकर एवं चाकू से मारकर हत्या करने बाबत् नहीं बताया था। सौरभ मिश्रा आपराधिक प्रवृत्ति का होने एवं उसके विरूद्ध थाना ढीमरखेड़ा में अनेक अपराध दर्ज होने की जानकारी उसे नहीं है। नहर में नहाने वाले बच्चे सरमन उर्फ गुल्लू भिम्मा एवं सच्चू संतराम ने मनीष चौकसे की हत्या करने वालों का हुलिया नहीं बताया था। उसने सौरभ मिश्रा को कई बार मवेशी बाजार पनागर में नहीं देखा था। उपरोक्त बाबत् उसने प्रदर्श पी–15 के बयान में बी से बी व सी से सी भाग बाबत् नहीं बताया था। वह अभियुक्तगण को अच्छी तरह से नहीं जानता है और उन्हें बचाने के लिए उनसे मिलकर सही बात नहीं बताने वाली बात गलत है।

16. अ.सा.–2 सरमन उर्फ पप्पू राय ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को नाम व शक्ल से पहचानता नहीं है। मृतक मनीष चौकसे उसका रिश्तेदार था, जो ढाबा चलाता था और मवेशियों के क्रय–विक्रय का काम भी करता था। उसके साक्ष्य कथन दिनांक 08.03.2017 से लगभग 7–8 माह पहले उसे पता चला था कि मनीष की किसी ने गोली मारकर हत्या की, परंतु हत्या किसने की इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने अभियुक्त मोतीलाल बर्मन से पूछताछ नहीं की थी और कोई वस्तु जप्त नहीं की थी। उक्त साक्षी के उक्त साक्ष्य कथन पश्चात् अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 11.06.2016 को शाम के साढ़े आठ बजे संतोष शर्मा ने उसे नहीं बताया था कि संतोष पांडे ने फोन कर सौरभ मिश्रा सिलौड़ीवाला अपनी टीम के साथ मवेशी बाजार में छापा मारकर लूटपाट करेगा, इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद सौरभ मिश्रा अपनी टीम के साथ बाजार में नहीं आया था। दिनांक 12.06.2018 की रात लगभग सवा दो बजे वह मनीष के साथ मनीष की पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.–20–एम.ई.–2754 पर बैठकर ग्राम कसही में मवेशियों के व्यापारियों के पास नहीं गया था एवं इसके थोड़ी देर बाद वह मनीष के साथ मझगवां कॉलोनी नहीं गए थे व प्रहलाद सिंह के यहां नहीं रूके थे एवं प्रहलाद सिंह के घर खाना खाने के बाद वापस ग्राम कसही नहीं आए थे। उसी समय बसंत ने उन्हें नहीं बताया कि एक नाटा बैल रास्ते में बैठा है और आ नहीं रहा है।

17. उक्त साक्षी अ.सा.–2 सरमन उर्फ पप्पू राय ने उक्त पक्षविरोधी सूचक प्रश्न में यह भी कथन किया है कि उपरोक्त के बाद मनीष चौकसे अपनी मोटरसाइकिल पर बसंत मरावी को बैठाकर जलगांव पुलिया की ओर चला गया था और इसके बाद उसने मनीष चौकसे को नहीं देखा था। मनीष के जाने के बाद जाने के लगभग आधे घंटे पश्चात् सच्चू उर्फ संतराम व सरमन भिम्मा नहर के उसपार पहाड़ी पर भागते हुए दिखे थे। इसके आधे घंटे बाद सरमन उर्फ भिम्मा ने उसे आकर बताया था कि मनीष चौकसे को दो लड़के मोटरसाईकिल पर आकर गोली मारकर चले गए। उसे सरमन ने यह भी बताया था कि मोटरसाइकिल पर आए लड़कों ने उन्हें पहले पत्थर मारे थे और पत्थर मारने से मनीष चौकसे ने मना किया तो एक व्यक्ति ने कट्टे से गोली चलाकर उसे मार दिया था। उक्त जानकारी मिलने के लगभग आधे घंटे पश्चात् वह घटनास्थल पर गया था, जहां उसे मनीष चौकसे मृत अवस्था में पड़ा मिला था। इसपर उसने 100 नंबर वाहन को फोन लगाया था।

18. उक्त साक्षी अ.सा.–2 सरमन उर्फ पप्पू राय ने उक्त पक्षविरोधी सूचक प्रश्न में यह भी कथन किया है कि सरमन और सच्चू ने गोली मारने वाले व्यक्तियों का हुलिया अभियुक्त सौरभ मिश्रा का होने जैसा नहीं बताया था। अभियुक्त सौरभ मिश्रा ग्राम सिलौड़ी में नहीं रहता है, उसे पहचानता नहीं है। सौरभ मिश्रा आपराधिक प्रवृत्ति का होने और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष चौकसे की गोली मारकर व चाकू से मारपीट कर हत्या करने वाली बात नहीं बताई थी। घटना वाले दिन, दिन में 3–4 बजे सौरभ मिश्रा मोटरसाईकिल से सत्येंद्र पांडे के साथ पनागर से भड़दा पड़रिया कसही गांव की ओर नहीं आया था एवं सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे को अनारी कोरी व कम्मू उर्फ कमलेश बर्मन ने नहीं देखा था। सौरभ मिश्रा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर व चाकू से मारपीट कर मनीष चौकसे की हत्या करने बाबत् उसे पता नहीं चला था। इस बाबत् प्रदर्श पी–8 का ए से ए का बयान उसने नहीं दिया था।

19. उक्त साक्षी अ.सा.–2 सरमन उर्फ पप्पू राय ने उक्त पक्षविरोधी सूचक प्रश्न में यह भी कथन किया है कि दिनांक 19.09.2016 को अभियुक्त मोतीलाल से उपनिरीक्षक के.पी.सिंह यादव ने थाना पनागर में उसके सामने पूछताछ नहीं की थी और उसके सामने नहीं बताया था कि उसने एक गामा

गाड़ी नंबर एम.पी.–20– बी.ए.–2140 प्रमोद महोबिया के घर के आंगन में खड़ी की है, जिसे बरामद कराने का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–3 नहीं दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त मोतीलाल ने प्रमोद महोबिया के घर के आंगन से उक्त गाड़ी प्रदर्श पी–4 के जप्तीपत्रक से जप्त नहीं कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हसताक्षर हैं, जो पुलिसवालों ने थाने में कराए थे। उक्त अभियुक्त को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार कर प्रदर्श पी–5 का गिरफ्तारी पंचनामा नहीं बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर पुलिसवालों के कहने पर थाने पर किए थे। अभियुक्तगण से मिलकर उन्हें बचाने के लिए उसने झूठे बयान नहीं दिए हैं। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त संदीप राय, चिंटू उर्फ अतुल दुबे, भद्दू कोल व संतोष कोल को भी वह पहचानता नहीं है, जिसने उसके सामने मनीष चौकसे की हत्या नहीं की है। इस बाबत् भी उसने पुलिस को बयान नहीं दिए थे।

20. अ.सा.–3 सरमन उर्फ भिम्मा ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को पहचानता नहीं है। उसके साक्ष्य कथन दिनांक 21.12.2017 से लगभग डेढ़ वर्ष पहले वह सच्चू के साथ गाय–बैल एकत्रित कर कसही गांव से नहर की ओर नहाने गया था। उसी समय दो लोग मोटरसाईकिल से आए और उससे पूछे कि गाय–बैल किसके हैं। उसने बताया कि गाय–बैल उसके हैं। उसके थोड़ी देर बाद उनके पीछे मनीष चौकसे नाम का व्यक्ति आया तो उसके सामने उक्त मोटरसाईकिल से आए दो व्यक्ति उन्हें पत्थर मारने लगे, इसलिए मनीष चौकसे ने उन्हें पत्थर मारने से रोका। इसपर उक्त दो लड़कों में से एक ने उक्त मनीष को बंदूक निकालकर गोली मार दी। इसपर वह डर के मारे नहर के किनारे–किनारे भागकर पहाड़ी पर चला गया। इसके लगभग दस मिनट बाद वापस आने पर उसे कोई नहीं मिला तो वह अपने डेरे गया, जहां उसने डेरे के लोगों को घटना बताई और डेरे में पप्पू को भी घटना बताई। उक्त नहर के पास मनीष को गोली मारने वाला एक व्यक्ति उंचा लगभग छः से साढ़े छः फुट का काले रंग का था, जिन्हें वह पहचान सकता है। उक्त दो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण में से कोई नहीं है। जिस व्यक्ति ने मनीष को गोली मारी थी वह एक पैर से लंगड़ा था। उक्त घटना बाबत् पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी।

21. उक्त साक्षी अ.सा.–3 सरमन उर्फ भिम्मा के उक्त कथन पश्चात् अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन वह अपने साथियों के साथ पनागर में रूका था और उसके साथ बसंत भीमा भी था। जो दो व्यक्ति मोटरसाईकिल से आए थे, गोली चलने के बाद एक सफेद रंग की गामा या तूफान जैसी गाड़ी पनागर की ओर जाने के लिए वहां खड़ी नहीं थी और उस गाड़ी में उसने लड़को को बैठा नहीं देखा था। उस गामा गाड़ी से उतरकर कुछ लड़कों ने मनीष चौकसे को नहीं देखा था। इस बाबत् उसने पुलिस को प्रदर्श पी–9 का ए से ए का बयान नहीं दिया था। जिस व्यक्ति ने मनीष को गोली मारी थी, वह नीले रंग का जींस और सफेद रंग का शर्ट पहने नहीं था और उसका रंग गोरा नहीं था और उसकी पतली मूछें नहीं थी। उपरोक्त बाबत् प्रदर्श पी–9 का बी से बी का कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था। न्यायालय में उपस्थित चारों अभियुक्तगण घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। अभियुक्तगण के दबाव में उन्हें बचाने के लिए वह उन्हें पहचानने से इंकार नहीं कर रहा है। मनीष को दो लोगों ने गोली मारी थी, उसके बाद थाना पनागर के पुलिसवाले उन्हें लेकर थाना पनागर नहीं गए थे। जिन दो व्यक्तियों ने मनीष को गोली मारी थी, वे उंचे–पूरे थे जो लगभग 6–7 फुट की उंचाई के थे, उनमें से एक व्यक्ति लंगड़ा था और एक के सिर पर बाल नहीं थे। मनीष के साथ कारित घटना दिन में 3–4 बजे की है। घटना कारित करने के पश्चात् दोनों व्यक्ति कहां चले गए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने घटना देखी थी, परंतु वह डर गया था इसलिए वहां से जाकर छिप गया था।

22. अ.सा.–4 बसंत मरावी ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को नाम व शक्ल से पहचानता नहीं है। मृतक मनीष चौकसे को पहचानता था, जो गाय–बैल विक्रय का काम करता था और वह उससे मवेशी खरीदने का काम करता था। उसके साक्ष्य कथन दिनांक 21.12.2017 से लगभग डेढ़ वर्ष पहले वह ग्राम कसही में मवेशियों को लेकर डेरा डाला हुआ था और अपने साथियों के साथ मवेशी बेचने के लिए ग्राम कसही से गुगरी बाजार जा रहा था। उसी समय रास्ते में एक नाटा बैल बैठा था, जो उठ नहीं रहा था। तब वह मनीष चौकसे को पनागर से बुलाकर उस नाटे बैल के पास गया था और नाटा बैल को देखकर चला गया था। इसके बाद भी नाटा बैल नहीं उठा था तो वह वापस ग्राम कसही आ गया था। इसके

एक–डेढ़ घंटे बाद उसे पता चला था कि नहर के पास मनीष चौकसे की किसी ने हत्या की है, परंतु उसकी हत्या किसने की इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने घटना देखी नहीं और सुनी भी नहीं।

23. अ.सा.–5 सच्चू उर्फ संतराम ने भी अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया और मृतक मनीष चौकसे को पहचानता होना बताया है। इस साक्षी ने उसके साक्ष्य कथन दिनांक 11.01.2018 से डेढ़ वर्ष पहले गर्मी के समय पनागर से मवेशी लेकर अन्य लड़कों के साथ ग्राम कसही में आकर डेरा डाले हुए था, तब दिन में वह सरमन के साथ नहर में नहाने गया था। दिन में 3–4 बजे मोटरसाइकिल से दो लड़के आए थे और उनसे गाय–बैल के बारे में पूछताछ कर उन्हें पत्थर मारने लगे थे। इसी समय पनागर से मनीष चौकसे ने मोटरसाइकिल पर आकर उन दो व्यक्तियों को पत्थर मारने का कारण पूछा तो उक्त दोनों व्यक्तियों में से एक ने मनीष को गोली मार दी थी, इस पर वह और सरमन गोली की आवाज सुनकर भाग गए थे। आगे जाकर उन्होंने मुड़कर देखा था तो दो व्यक्तियों ने मनीष को फिर से एक गोली मारी थी। इसपर वे भागकर पहाड़ी पर चढ़ गए थे। घटना कारित करने वाले व्यक्तियों को वह देखकर पहचान सकता है, जो 6–7 फुट के थे, जिनमें से एक व्यक्ति गंजा था और दूसरा एक पैर से लंगड़ा था, परंतु न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण उक्त गोली मारने वाले व्यक्ति नहीं थे।

24. अ.सा.–6 बहादुर राय ने भी अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है एवं अपने सामने अभियुक्त सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार करने से इंकार कर प्रदर्श पी–1 का मेमोरेण्डम, प्रदर्श पी–2 का नुकसानी पंचनामा व प्रदर्श पी–6 का गिरफ्तारी पंचनामा अपने सामने बनने से इंकार किया है एवं मेमोरेण्डम के सी से सी भाग पर व नुकसानी पंचानामा व गिरफ्तारी पंचानामा के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर थाने पर करना बताया है। साथ ही घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त साक्षी के उक्त साक्ष्य कथन पश्चात् अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 28.06.2016 को थाना पनागर में उसके सामने पुलिसवालों ने सौरभ मिश्रा से पूछताछ नहीं की थी और प्रदर्श पी–1 का बी से बी भाग का कथन नहीं दिया था एवं इसके अनुसार उक्त दिनांक को सौरभ मिश्रा ने ग्राम रानीताल के खेत के पास की झाड़ियों की तलाशी

नहीं कराई थी और ऐसी तलाशी का पंचनामा प्रदर्श पी–2 उसके सामने नहीं बना था एवं उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया था। उसने मनीष चौकसे के शव को नहीं देखा था। उसे सरमन और सच्चू उर्फ संतराम ने मनीष चौकसे को दो लड़कों ने नहर के किनारे आकर मारपीट करने और दो लड़कों में से एक ने कट्टे से गोली मारकर हत्या करने की बात नहीं बताई थी। इस बाबत् प्रदर्श पी–10 का ए से ए भाग का कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था। अभियुक्त से मिलकर उसे बचाने के लिए असत्य कथन नहीं किए हैं।

25. अ.सा.–1 संतोष शर्मा ने भी कथन किया है कि अभियुक्तगण को वह पहचानता नहीं है। उसके सामने पुलिस ने अभियुक्तगण से पूछताछ नहीं की थी और कोई वस्तु जप्त नहीं की थी। उसके साक्ष्य कथन दिनांक 08.03.2017 से लगभग 8–9 माह पहले पुलिसवालों ने उसे बुलाकर थाना पनागर ले गए थे और कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर कराए थे, जो प्रदर्श पी–1 व 3 का मेमोरेण्डम, प्रदर्श पी–2 का तलाशी पंचनामा, प्रदर्श पी–4 का जप्तीपत्रक एवं प्रदर्श पी–5 व 6 का गिरफ्तारी पंचनामा है, जिनके ए से ए भाग पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के उक्त कथन पश्चात् उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह धर्मेंद्र राय को जानता है, जो बैल बाजार में ठेकेदारी करता है और धर्मेंद्र राय का भाई बहादुर राय है। मनीष चौकसे को भी जानता है जो बैल बाजार में आता–जाता है। दिनांक 04.06.2016 को रात्रि लगभग 02:00 बजे वंदना पटेल मवेशी बाजार आई थी, परंतु कल्लू गौड़ और मुकेश गौड़ ने उसे आकर उक्त मैडम ने बाजार आकर परेशान करने वाली बात नहीं बताई थी। परंतु उसने बाजार में जाकर देखा था कि वंदना पटेल की गाड़ी और पुलिस की 100 नंबर गाड़ी खड़ी थी तो उसने वंदना पटेल को बोला था कि वे बाजार में व्यापारियों को परेशान न करें। इस बाबत् उसने थाना पनागर पर वंदना पटेल से भी बात की थी। तब वंदना पटेल ने कहा था कि जिसके पास जमीन व ऋण पुस्तिका है, वे अपने मवेशी घर ले जा सकते हैं और बिना ऋण पुस्तिका वाले कोई जानवर नहीं ले जा सकते और उसे क्रय या विक्रय भी नहीं कर सकते।

26. उक्त अ.सा.–1 संतोष शर्मा ने पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न

पूछने दौरान यह भी कथन किया है कि उसने दिनांक 06.06.2016 को नगर पालिका अध्यक्ष रीना जैन से बात की थी और वंदना पटेल व उसके साथियों के विरूद्ध थाना पनागर एसडीएम, सीएमओ व एसपी को शिकायत पत्र दिया था, तब रमेश पांडे ने दिनांक 16.06.2016 को उससे बात नहीं की थी और सौरभ मिश्रा से बात करने की बात नहीं बोली थी एवं उसे रमेश पांडे ने सौरभ मिश्रा पांच टीम लेकर जप्ती के लिए आएगा ऐसी बात नहीं बोली थी। परंतु बाद में पप्पू राय ने उसे फोन कर बताया था कि मनीष चौकसे की नहर की रोड में ग्राम कसही में एक मोटरसाइकिल से आए दो लड़कों ने कट्टे से मारकर हत्या कर दी है। परंतु उसने नहर के पास जाकर मनीष चौकसे का शव नहीं देखा था। तब मौके पर कल्लू उर्फ कमलेश बर्मन व अनारी कोरी ने दिन में 3–4 बजे के बीच मोटरसाइकिल से सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे को ग्राम पड़रिया की ओर जाते हुए देखने की बात नहीं बताई थी। उक्त व्यक्तियों ने उसे सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे ने मवेशी बाजार की रंजिश के कारण मनीष चौकसे को कट्टे से गोली मारकर व चाकू से मारपीट कर हत्या करने वाली बात नहीं बताई थी। उसने रमेश पाण्डे के कहने पर सौरभ मिश्रा से बात नहीं करने के कारण सौरभ मिश्रा ने सत्येंद्र पांडे के साथ मिलकर मनीष चौकसे की हत्या नहीं की थी। उपरोक्त बाबत् प्रदर्श पी–7 का ए से ए का कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था।

27. उक्त अ.सा.–1 संतोष शर्मा ने पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने दौरान यह भी कथन किया है कि दिनांक 28.06.2016 को शाम को 06:00 बजे थाना पनागर में निरीक्षक के.पी.यादव ने अभियुक्त सौरभ मिश्रा से उसके सामने पूछताछ नहीं की थी, उक्त पूछताछ में सौरभ मिश्रा ने सत्येंद्र पांडे के साथ ग्राम कसही नहर वाली रोड पर जाकर एक लड़के के मोटरसाइकिल पर आने पर सत्येंद्र पांडे की बहस होने पर सत्येंद्र पांडे ने अपने काले रंग के बैग से कट्टा निकालकर गोली मारने व उसके बाद दूसरी गोली भी कट्टे में भरकर उस आदमी को मारने और इससे उसकी मृत्यु होने एवं उक्त कट्टा अपने बैग में रखकर जबलपुर चले जाने और उसे बरामद करा देने का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–1 उसके सामने नहीं दिया था। दिनांक 19.09.2016 को अभियुक्त मोतीलाल से थाना पनागर में उक्त उपनिरीक्षक ने उसके सामने पूछताछ नहीं की थी, जिसमें मोतीलाल ने एक गामा गाड़ी नंबर एम.पी.–20–बी.ए.–2140 प्रमोद महोबिया के घर के आंगन में

खड़ी करने और इसे बरामद करा देने का प्रदर्श पी–3 का मेमोरेण्डम नहीं दिया था। उक्त दिनांक को ही उक्त मोतीलाल बर्मन द्वारा प्रमोद महोबिया के घर के आंगन से उक्त गाड़ी उसके सामने बरामद नहीं कराई थी और इस बाबत् प्रदर्श पी–4 का जप्ती पंचनामा नहीं बनाया था। इसी प्रकार अभियुक्त सौरभ मिश्रा व मोतीलाल को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। वह अभियुक्तगण से मिला नहीं है और उन्हें बचाने के लिए असत्य कथन नहीं किए हैं। अभियुक्त संदीप राय, लालू श्रीवास, चिंटू उर्फ अतुल दुबे को वह पहचानता नहीं है। इनके द्वारा भी कोई घटना उसके सामने कारित नहीं की गई और मनीष चौकसे की मृत्यु कैसे हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है।

28. अ.सा.–8 अनारी कोरी ने कथन किया है कि वह पहले पनागर के विनोबा भावे वार्ड का पार्षद रहा है, इसलिए पुलिसवाले उसे जानते थे और मनीष चौकसे की मृत्यु के बाद पुलिसवालों ने उसे एक बार थाना पनागर बुलाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। परंतु उसके सामने किसी वस्तु की जप्ती नहीं की थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–12 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना नहीं देखी और पुलिस को कोई बयान नहीं दिए थे। उसके साक्ष्य कथन दिनांक 27.02.2019 से लगभग डेढ़ से दो वर्ष पहले मनीष चौकसे की मृत्यु किसी के द्वारा गोली मारने से हुई थी, की जानकारी उसे मिली थी, परंतु न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तगण को वह पहचानता नहीं है। उक्त साक्षी के उक्त साक्ष्य कथन पश्चात् अभियोजन ने उसे पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 11.06.2016 को रात्रि लगभग 7–8 बजे वह पनागर में मवेशी बाजार नहीं गया था और वहां संतोष शर्मा, बहादुर राय, धर्मेंद्र राय व पप्पू राय नहीं मिले थे। तब संतोष शर्मा ने ग्राम सिलौड़ी के सौरभ मिश्रा द्वारा अपनी टीम के साथ रात में मवेशी बाजार पनागर में आकर मवेशी व्यापारियों के साथ मारपीट व लूटपाट करेगा, ऐसी जानकारी नहीं दी थी और उसे यह भी नहीं कहा था कि पप्पू राय के साथ रात में मवेशी बाजार में रहकर व्यापार की सुरक्षा करना है। इसपर उसने पप्पू राय के साथ मवेशी बाजार में रहकर व्यापारी व मवेशियों की सुरक्षा नहीं की थी। उपरोक्त के दूसरे दिन दिनांक 12.06.2016 को दिन में लगभग 3–4 बजे वह मझगवां में अपने काम से जाकर नहर के पास रास्ते में खड़ा नहीं था। उसी समय न्यायालय में उपस्थित आरोपी सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे मोटरसाइकिल से भरदा पड़रिया एवं ग्राम कसही की ओर

जाते हुए नहीं दिखे थे एवं इसके थोड़ी देर बाद वापस घर आते दौरान उसे ग्राम कसही में नहर की रोड में मझगवां की ओर से मोटरसाइकिल से आए दो लड़कों ने नहर में नहाने वाले बच्चों के पत्थर मारने और मनीष चौकसे द्वारा पत्थर मारने से मना करने पर उक्त मोटरसाइकिल के दो लड़कों में से एक ने कट्टे से गोली मारकर मनीष चौकसे की हत्या करने और ग्राम भरदा पड़रिया की ओर भाग जाने की जानकारी नहीं दी थी।

29. अ.सा.–8 अनारी कोरी ने पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने दौरान यह भी कथन किया है कि मृतक मनीष चौकसे की उपरोक्त हत्या होने की जानकारी मिलने पर वह ग्राम कसही नहर की रोड की ओर नहीं गया था और मनीष चौकसे के शव को नहीं देखा था। तब उसने मनीष के सीने में बाईं ओर गोली की चोट के निशान, पेट में नाभि के पास दो जगह चोट के निशान नहीं देखे थे। मनीष के शव के पास उसकी पल्सर मोटरसाइकिल उसे खड़ी हुई नहीं मिली थी। तब उसे संतोष मिश्रा ने सौरभ मिश्रा और सत्येंद्र पांडे थोड़ी देर पहले ही उसी रास्ते से ग्राम मझगवां की ओर आए थी, की जानकारी उसे नहीं दी थी। अभियुक्त सौरभ मिश्रा पनागर मवेशी बाजार को लेकर संतोष शर्मा व मवेशी व्यापारियों से रंजिश नहीं रखता था एवं इसी कारण से सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे ने कट्टे से मनीष चौकसे की गोली मारकर हत्या नहीं की थी। उक्त दोनों अभियुक्त को वह पहचानता नहीं है। ग्राम सलौड़ी का निवासी सौरभ मिश्रा होने और रद्दी चौकी जबलपुर का निवासी सत्येंद्र पांडे होने की जानकारी उसे नहीं है, साथ ही उक्त सत्येंद्र पांडे पेशे से अधिवक्ता होने की भी जानकारी उसे नहीं है। उसके सामने पुलिसवालों ने ग्राम कसही बरगी बांध नहर के पास से घटनास्थल से एक पल्सर काले रंग की मोटरसाइकिल नंबर एम.पी.–20–एम.ई.–2764 मनीष चौकसे की, जप्त नहीं की थी। उक्त जप्त मोटरसाइकिल की हेडलाईट व पेट्रोल की टंकी व मडगार्ड पर खून के धब्बे नहीं थे। पुलिस द्वारा मृतक की जेब से नोकिया कंपनी का मोबाईल, मृतक मनीष चौकसे की रबर की चप्पल पीले रंग की, मौके से खून आलूदा व सादा मिट्टी उसके सामने प्रदर्श पी–12 के जप्तीपत्रक से जप्त नहीं की थी। उपरोक्त समग्र बाबत् प्रदर्श पी–13 का ए से ए भाग का कथन उसने पुलिस को नहीं दिया था। अभियुक्तगण से मिलकर उन्हें बचाने के लिए उसने असत्य कथन नहीं किए हैं।

30. अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि दिनांक 12.06.2016 को थाना पनागर में उक्त पद पर उनकी पदस्थापना थी। उक्त दिनांक को थाना पनागर में किसी के द्वारा फोन कर सूचना दी गई थी कि ग्राम कसही नहर की रोड में मृतक मनीष चौकसे की हत्या दो अज्ञात लड़कों ने कट्टे से गोली मारकर की है। इसपर वे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और आवेदक धर्मेंद्र राय पिता लखपति राय निवासी–गुरूनानक वार्ड पनागर की रिपोर्ट पर दो अज्ञात लड़कों के विरूद्ध धारा 302/34 भादसं. के अपराध की प्रथम सूचना 0/2016 प्रदर्श पी–14 कायम किया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उक्त मनीष चौकसे की मृत्यु की जानकारी बाबत् धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत् 0/2016 पर प्रदर्श पी–17 की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उक्त आवेदक के व बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् उन्होंने धर्मेंद्र राय की निशादेही से प्रदर्श पी–18 का नजरी नक्शा घटनास्थल पर बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसीप्रकार घटनास्थल से धर्मेंद्र राय व अनारी कोरी के सामने मृतक मनीष चौकसे की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.–20–एम.ई.–2754 पल्सर काले रंग की, जिसके पेट्रोल की टंकी व मडगार्ड पर खून जैसा लगा मिला को, मृतक की जेब से नोकिया कंपनी का मोबाईल एवं मौके से मृतक की एक जोड़ी रबर की चप्पल एवं खून आलूदा व सादा मिट्टी जप्त कर सीलबंद कर प्रदर्श पी–12 के जप्तीपत्रक से जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त खून आलूदा मिट्टी आर्टिकल ए–7 एवं सादा मिट्टी आर्टिकल ए–8 होना बताया है। इसी प्रकार मृतक की घटनास्थल से जप्त चप्पल व मृतक को संबंधित विवेचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी ने मिसप्लेस/गुम होना प्रकट करने और उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ होने का प्रकट करने पर उसे प्रकरण में जमा नहीं करना पाया गया और उसे साक्षी से आर्टिकल मार्क नहीं कराया जा सका।

31. उक्त साक्षी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव उपनिरीक्षक ने यह भी कथन किया है कि मौके से वापस थाना पनागर देहाती प्रथम सूचना रिपोर्ट से असल अपराध क्रमांक 455/2016 धारा 302/34 भादंस. की प्रदर्श पी–19 की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् मर्ग क्रमांक 42/2016 दिनांक 12.06.2016 दर्ज कर फोटो प्रिंट और वीडियो रिकॉर्डिंग आरक्षक नरेश उपाध्याय से करवाकर कुल 32 फोटो, एक

सीडी तैयार की थी एवं इसका धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र उक्त आरक्षक ने तैयार कर संलग्न किया था। विवेचना के दौरान गवाह संतोष शर्मा, सरमन उर्फ पप्पू राय, सरमन उर्फ भोलू भिम्मा, बहादुर राय, अनारी कोरी, धर्मेंद्र राय, रमेश कुमार पांडे, सच्चू उर्फ संतराम भिम्मा, बसंत मरावी, कम्मा उर्फ कमलेश बर्मन, गोपाल सरिया, ममता चौकसे, कौशल्या चौकसे, मोना राय के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे, जिसमें कुछ घटा–बढ़ा नहीं किया था और अपने मन से दर्ज नहीं किया था। घटनास्थल से जप्त मृतक की मोटरसाइकिल में लगे खून की दो स्लाईड आर्टिकल ए–9 व 10 एवं एक सादी स्लाईड आर्टिकल ए–11 दिनांक 21.08.2016 को तैयार कर आरक्षक जैन ने पेश की थी, जिसे प्रदर्श पी–20 के जप्तीपत्रक से गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

32. उक्त साक्षी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव उपनिरीक्षक ने यह भी कथन किया है कि मृतक मनीष चौकसे का पोस्टमार्टम कराने पर उसके शरीर के अंदर से गोली दो नग आर्टिकल ए–2ए व 3ए प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार मृतक के कपड़े, सेंडल, बनियान, जींस पेंट, अंडरवियर आर्टिकल ए–4 से ए–6 प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त सौरभ मिश्रा के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी–21 दर्ज कराए थे। मोबाईल नंबर 7509632608, 8224866241, 9303344660 की सीडीआर चाहने बाबत् सायबर सेल को उन्होंने पत्र भेजा था। साईबर सेल को भेजे गए पत्र द्वारा उक्त तीन मोबाईल नंबरों की सीडीआर कुल 82 पृष्ठों में प्राप्त हुई है, जो आर्टिकल ए–1ए है। इस संबंध में सायबर सेल से धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–24 प्राप्त हुआ है। उन्होंने दिनांक 24.10.2016 को गवाह प्रमोद कुमार मेहरा के कथन उसके बताए अनुसार दर्ज किए थे, जिसमें अपने मन से घटाया–बढ़ाया नहीं था। इसके पूर्व उन्होंने उक्त दिनांक को प्रमोद मेहरा को प्रदर्श पी–28 का पत्र भेजकर गाड़ी क्रमांक एम.पी.–20–बी.ए.–2140 के संबंध में जानकारी चाही थी, जिसके ए से ए पर उनके हस्ताक्षर हैं व बी से बी भाग पर प्रमोद मेहरा की पावती है। उक्त दिनांक को ही उक्त प्रमोद मेहरा वाहन मालिक ने उक्त गाड़ी के संबंध में प्रदर्श पी–29 का लिखित पत्र प्रस्तुत किया था। विवेचना के दौरान उन्होंने अभियुक्त अतुल कुमार दुबे व लालू श्रीवास्तव को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर प्रदर्श पी–25 व 27 का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके व बी से बी भाग पर उक्त

अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। उक्त समग्र मुद्देमाल एफ.एस.एल. जांच के संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 व 31 है। उन्होंने शेष विवेचना हेतु केस डायरी थाना प्रभारी को दी थी।

33. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि मृतक के जेब से मिले मोबाईल से कॉल के संबंध में उन्होंने कोई जांच नहीं की। वे वर्ष 2014–2018 तक थाना पनागर में पदस्थ रहे हैं। ग्राम सिलौड़ी जिला कटनी में आता है और खितौला जबलपुर में आता है, परंतु सिहोरा के पास खितौला नहीं है एवं खितौला की सीमा से सिलौड़ी ग्राम लगा है एवं सिहोरा की सीमा से खितौला लगा है। सौरभ मिश्रा को थाना प्रभारी ने 11 दिन तक थाने में बंद कर मारपीट नहीं की और विवाद होने पर उसे थाना रांझी नहीं ले गए। दिनांक 24.06.2016 को जेएमएफसी नीरज मालवीय जी के न्यायालय में आकाश सोनी ने धारा 97 दं.प्र.सं. का प्रस्तुत आवेदन जांच के लिए उनके थाने को प्राप्त होने की जानकारी उन्हें नहीं है। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत होने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी के कहने पर उसे प्रकरण में झूठा नहीं फंसाया था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था, तब उनकी जानकारी में बसंत मरावी और सच्चू संतराम पनागर थाना क्षेत्र के डेरे में ही थे।

34. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि दिनांक 12.06.2016 को भी बसंत मरावी डेरे में ही था, जो घटना से एक घंटे बाद आया था। सच्चू उर्फ संतराम को लखन ईश्वर ढूंढकर लाया था तो उसके बयान दिनांक 12.06.2016 को लिए थे एवं लखन ईश्वर के बयान नहीं लिए थे। उक्त दोनों गवाह दिनांक 12.06.2016 के पश्चात् किस दिनांक तक उक्त डेरे में थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। अभियुक्त मोती व अतुल की शिनाख्ती के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी को पत्र नहीं लिखा था क्योंकि ऐसी शिनाख्ती की आवश्यकता नहीं थी। अभियुक्त सौरभ मिश्रा की शिनाख्ती की कार्यवाही जेल में हुई थी, जो उन्होंने नहीं की थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि फरियादी ने उसे पहचाना था या नहीं। गवाहों के बयान उन्होंने अपनी मर्जी से घटा–बढ़ाकर दर्ज नहीं किए हैं। उन्होंने व टी.आई. ने मिलकर सौरभ मिश्रा व अन्य अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गलत

कार्यवाही नहीं की।

35. अ.सा.–9 आर.एस. बागरी सहायक उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि दिनांक 12.06.2016 को थाना पनागर में उक्त पद पर उनकी पदस्थापना दौरान उक्त दिनांक को उन्होंने गवाहों की उपस्थिति बाबत् प्रदर्श पी–12ए का नोटिस अपनी हस्तलिपि में दिया था एवं प्रदर्श पी–13ए का नक्शा पंचायतनामा भी अपनी हस्तलिपि में भरा था। उपरोक्त के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् उसने मृतक मनीष चौकसे के शव परीक्षण का फॉर्म प्रदर्श पी–11 अपनी हस्तलिपि में भरा था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त शव परीक्षण फॉर्म में उसने लिखा था कि मृतक के बदन में लाल रंग की बनियान, जिसमें कट का मार्क था व खून लगा था, मृतक मनीष को अज्ञात व्यक्तियों ने कट्टा से फायरिंग कर गोली मारने से व चाकू मारने से हत्या करना बताया गया है। इस पर मृतक के एक्सरे कराने की कृपा करने का स से स भाग पर लेख किया है। अ.सा.–12 लाल बहादुर सिंह सहायक उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि दिनांक 13.06. 2016 को थाना पनागर में प्रधान आरक्षक मोहरिर के पद पर पदस्थ थे, तब उक्त दिनांक को थाना पनागर में आरक्षक राजेंद्र सिंह राजपूत नंबर 2215 ने मेडिकल अस्पताल जबलपुर से मृतक मनीष चौकसे की पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अंदर से निकली दो नग गोली सीलबंद शीशी, एक सीलबंद पैकेट में मृतक के कपड़े एवं मृतक मनीष चौकसे की तीन नग एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए–1 से ए–3 लाकर गवाहों के समक्ष पेश करने पर प्रदर्श पी–16 का जप्तीपत्रक के अनुसार उन्होनें जप्त किए थे, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

36. अ.सा.–7 डॉ. वीरेंद्र मरावी चिकित्सा अधिकारी ने कथन में बताया है कि दिनांक 13.06.2016 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर में मरचुरी में पोस्टमार्टम ड्यूटी पर वे उपस्थित थे, तब उक्त दिनांक को आरक्षक राजेंद्र राजपूत नंबर 2215 थाना पनागर ने शव परीक्षा के पत्र के साथ मृतक मनीष चौकसे पिता कैलाश चौकसे उम्र 40 वर्ष निवासी पनागर गुरूनानक वार्ड, थाना पनागर जिला जबलपुर का शव परीक्षण के लिए लाया था। उक्त शव की पहचान मृतक के जीजा धर्मेंद्र राय एवं मृतक के मामा अशोक कुमार जायसवाल सहित उक्त आरक्षक ने की थी। इसपर उन्होंने मृतक का शव

परीक्षण उपरोक्त दिनांक को सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर करने के पहले मृतक के शव के छाती का एक्सरे व पेट का एक्सरे करने के लिए रेडियोलॉजी विभाग को भेजा था व इसके पश्चात् 11:30 बजे मृतक का शव वापस आने पर उन्होंने पोस्टमार्टम प्रारंभ किया था।

37. उक्त साक्षी अ.सा.–7 डॉ. वीरेंद्र मरावी ने कथन में यह भी बताया है कि मृतक के बाह्य परीक्षण में शव सामान्य कद काठी का पुरूष था एवं उसके आंख व मुंह बंद थे। आंखों की पुतलियां सफेद थी। शव ठंडा था। मृत्यु उपरांत अकड़न मौजूद थी एवं पोस्टमार्टन स्टेनिंग मौजूद थी। मृतक के शरीर पर क्रमशः (1) छाती की दाहिनी ओर इंटरीवुड छाती की मध्य लाईन से पांच इंच बाहर की ओर व बाह्य क्लेवीकल से चार इंच नीचे एक गोली लगने का घाव था एवं घाव की मार्जिन रेगुलर, इनवर्टिड थे एवं चारों तरफ एवरेजन कॉलर से घिरा हुआ था, जिसका आकार छः से.मी. था, घाव के चारों ओर टैटू मौजूद थी, जो दाहिने भुजा तक दिखाई दे रही थी जो लगभग पांच इंच गुणा पांच इंच के आकार की थी एवं घाव का इंटरीगुड साईज दो गुणा एक इंच था। घाव का ट्रेक नीचे की ओर पीछे की तरफ से होते हुए दाहिनी तरफ जा रहा था, जो स्किन दूसरे व तीसरे रिप व बायें फेफड़े, दाहिने फेफड़े को पूरी तरह भेदते हुए पीछे की चौथी पसली के सबक्यूटनेश टिश्यू में गोली धंसी हुई पाई गई थी एवं पूरे ट्रेक में चिपचिपे खून का थक्का मौजूद था; (2) दूसरा घाव गोली लगने का इंटरीगुड अंबराईकस के दाहिने ओर उपर मौजूद था, जिसका आकार दो गुणित ढाई इंच, जिसके चारों तरफ एक से.मी. एवरेजन कॉलर था एवं घाव का ट्रेक उपर की तरफ पीछे की तरफ जा रहा था, जो चमड़ी सबक्यूटनेश टिश्यू पैरीटोनियम आंत, लीवर, डायफ्राम, दाहिना फेफड़ा को भेदते हुए पहली गोली के दो इंच नीचे सबक्यूटनेस टिश्यू पर गोली मौजूद थी एवं पूरे ट्रेक में चिपचिपे खून का थक्का मौजूद था; (3) तीसरा घाव लाल रंग का छिला हुआ सामने छाती के दाहिने ओर मध्य छाती के चार इंच दाहिनी ओर, आधा इंच गुणित आधा इंच का था।

38. उक्त साक्षी अ.सा.–7 डॉ. वीरेंद्र मरावी ने यह भी कथन किया है कि उक्त पोस्टमार्टम करते दौरान मृतक के आंतरिक परीक्षण में उसके खोपड़ी के बाल, कशेरूका, सिल्लो, मस्तिष्क, मेरूरज्जू स्वस्थ पाए गए थे। दाहिनी तरफ पीछे की दो पसलियों में फ्रेक्चर पाया गया था। दोनों फेफड़े में

पूर्वोक्तानुसार घाव थे। फैरियॉन, हृदयवाहिका स्वस्थ पाए गए थे। परदा, आंतों की झिल्ली, ग्रसनी, ग्रास नली स्वस्थ पाए गए थे। पेट खाली था, बड़ी आंत में मल भरा था, प्लीहा व गुर्दा पेल था, मूत्राशय खाली था, भीतर व बाहरी जननेंद्रियां स्वस्थ थी। उक्त शव परीक्षण में उन्होंने कॉपर जैकेट के बुलेट 01. 3.5 से.मी. की लेंथ की गोली 02. डिफार्म टिप की गोली, जिसका आकार तीन सेमी था, मृतक के कपड़े लाल रंग के सेंडो बनियान जो सामने दाहिनी ओर दो जगह से फटी थी एवं पीछे एक जगह दाहिनी ओर से फटी थी, को सीलबंद कर दो अलग–अलग पैकेटों में उपस्थित सिपाही को सुपुर्द किया था। उनके अभिमत में मृतक की मृत्यु का कारण हीमोरेजिक शॉक, जो मृत्यु पूर्व छाती की चोट से था, जो प्रोजेक्टाईल फायर आर्म्स से आना संभावित है, उपरोक्त बाबत् उन्होंने प्रदर्श पी–11 की शव परीक्षण रिपोर्ट दी थी, जिसके ए से ए, बी से बी व सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि शव परीक्षण में उन्होंने शव की पीठ में चोट पाए जाने का उल्लेख नहीं किया है और चाकू की कोई चोट पाई नहीं गई थी। मृतक के सीने में बैल के सींग मारने की चोट नहीं थी।

39. अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव थाना प्रभारी ने साक्ष्य कथन किया है कि दिनांक 19.06.2016 को वे थाना पनागर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, तब उन्हें उक्त थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 455/2016 धारा 302/34 भा. दं.सं. की केस डायरी अग्रिम विवेचना के लिए प्राप्त हुई थी। इसपर उन्होंने विवेचना में दिनांक 19.09.2016 को 11:30 बजे अभियुक्त मोतीलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने प्रदर्श पी–3 का मोमोरेण्डम देकर सी से सी भाग पर बताया था कि उसने गामा गाड़ी अपने मालिक प्रमोद महोबिया के आंगन में खड़ी कर दी है और द से द भाग में बताया था कि प्रमोद महोबिया के घर के आंगन में गामा गाड़ी एम.पी.–20–बी.ए.–2140 खड़ी की है, जो चलकर बरामद करा देता है। उक्त बात उन्होंने उक्त अभियुक्त के बताने पर लेखबद्ध की थी, जिसके ई से ई भाग पर उनके हस्ताक्षर होकर एफ से एफ भाग पर उक्त अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् उक्त अभियुक्त के बताने पर उन्होंने उसके साथ कुंडम में प्रमोद महोबिया के घर जाकर आंगन में खड़ी उक्त गाड़ी उक्त अभियुक्त की निशादेही से प्रदर्श पी–4 के जप्तीपत्रक से जप्त की थी, जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

40. इसी प्रकार उक्त साक्षी अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव थाना प्रभारी ने यह भी साक्ष्य कथन किया है कि विवेचना में उन्होंने दिनांक 28.06.2016 को अभियुक्त सौरभ मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्त ने प्रदर्श पी–1 का बयान डी से डी भाग पर दिया था कि उसने अपना मोबाईल व सिम वहां फेंका है, जो बरामद करा देता है। इसके ई से ई भाग पर उनके हस्ताक्षर होकर एफ से एफ भाग पर उक्त अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। उक्त अभियुक्त के उक्त मेमोरेण्डम देने के पश्चात् गवाह बहादुर व संतोष शर्मा के साथ जाकर फेके गए स्थान का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी–2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं एवं डी से डी भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। उक्त कार्यवाही के पश्चात् उन्होंने अभियुक्त सौरभ व मोतीलाल को प्रदर्श पी–5 व 6 के गिरफ्तारी पत्रक से गिरफ्तार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् उन्होंने संपूर्ण विवेचना कर अभियुक्तगण के विरूद्ध व अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 302/34 भा.दं.सं. का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाए जाने पर अंतिम प्रतिवेदन धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस अधीक्षक की अनुमति पश्चात् न्यायालय में पेश किया था।

41. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव थाना प्रभारी ने साक्ष्य कथन किया है कि उन्होंने प्रकरण में गामा गाड़ी के अलावा और कोई जप्ती नहीं की और फरियादी लोगों से उक्त गामा गाड़ी की पहचान नहीं कराई और गामा गाड़ी के ड्रायवर की भी पहचान नहीं कराई। प्रकरण का निकाल करना था, इसलिए वाहन चैकिंग के दौरान गलत ड्रायवर व वाहन को मुलजिम नहीं बनाया। गाड़ी जप्त करने के लिए रवानगी–वापसी का सान्हा पेश नहीं किया। सौरभ मिश्रा की थाने में पहचान कार्यवाही नहीं कराई थी, परंतु केंद्रीय जेल जबलपुर में पहचान की कार्यवाही कराई थी, उस दौरान पुलिस जेल नहीं गई थी। उक्त पहचान की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा साक्षियों से कराने हेतु पत्र भेजा था। उसे नहीं पता कि आकाश सोनी ने धारा 97 दं.प्र.सं. का एक आवेदन सौरभ मिश्रा को पुलिस पनागर ने दिनांक 21.06.2016 को हिरासत में बंद कर मारपीट करने व जबरदस्ती कागजी कार्यवाही में हस्ताक्षर कराने का देने बाबत् वह नहीं बता सकता। सौरभ मिश्रा के भाई संजीव मिश्रा ने उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस क्रमांक 11043/2016 पेश किया था, जिसमें पुलिस द्वारा सौरभ मिश्रा को थाने में मारपीट कर प्रताड़ित

कर रही है और आठ दिन से पेश नहीं कर रही है, का आरोप लगाया था। उक्त हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन के आदेश दिनांक 04.07.2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी–1 है। परंतु सौरभ मिश्रा को किसी प्रकार से आठ दिन तक बंद नहीं रखा था और उसे प्रताड़ित नहीं किया था।

42. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी अ.सा.–11 के. पी. सिंह यादव थाना प्रभारी ने यह भी साक्ष्य कथन किया है कि सौरभ मिश्रा से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई है। तलासी पंचानामे के लिए जाने का रवानगी व वापसी सान्हा पेश नहीं किया है। थाना पनागर से तीस किलोमीटर दूर थाना सिहोरा है व सिलौड़ी गांव थाना पनागर से 50–60 किलोमीटर दूर है। प्रदर्श डी–2 थाना सिहोरा के कुल छः अपराध, खितौला के 2 ऐसे कुल 8 अपराध में आरोपी का नाम सौरभ मिश्रा पिता किशोर कुमार मिश्रा उम्र 24 वर्ष निवासी–सालेम स्कूल के सामने, पाठक का बंगला, थाना खितौला, जिला जबलपुर लेख है। उन्होंने उपरोक्त बाबत् सौरभ मिश्रा से पूछताछ नहीं की थी और कोई छानबीन भी नहीं की थी। उन्हें नहीं पता कि वर्तमान प्रकरण में सौरभ मिश्रा के पास पहुंचने का क्या स्त्रोत था। उन्होंने विवेचना के दौरान गामा गाड़ी प्रमोद के आंगन से जप्त की है। उक्त गामा गाड़ी के सिलौड़ी ग्राम से जप्त न कर थाना पनागर के सामने से रोड की चैकिंग दौरान जप्त नहीं की थी, यदि जे.पी. यादव ऐसा कहते हैं, तो गलत है। अभियुक्त सौरभ मिश्रा को 11 दिन में अन्य मामले में अभिरक्षा में रखकर प्रताड़ित नहीं किया व जबरदस्ती बयान लेख नहीं कराए। हैबियत कॉर्पस व धारा 97 दं.प्र.सं. के आवेदन देकर उसने धमकाया नहीं था कि न्यायालय में गलत बयान दोगे तो 50 किलो गांजा में फंसा देंगे। उनकी जानकारी में उक्त अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण में कोई कपड़ा या वाहन सौरभ मिश्रा से जप्त नहीं किया। तलाशी पंचनामा बनाते वक्त स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर नहीं कराए व उन्हें गवाह नहीं बनाया। उन्होंने बर्बरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की। उन्होंने अभियुक्त सौरभ मिश्रा को गलत तरीके से आरोपी नहीं बनाया और उसे और अभियुक्तगण को मामले में झूंठा नहीं फंसाया।

43. उपरोक्तानुसार समग्र साक्ष्य के विवेचन से प्रकट है कि प्रकरण में मृतक की घटना दिन, समय व स्थान पर कथित रूप से मोटरसाइकिल के दो व्यक्तियों में से किसी एक ने एवं उनके पीछे गामा व तूफान गाड़ी में

मौजूद अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मृतक को दो बार कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या करते हुए देखने वाले घटनास्थल की नहर में स्नान करने वाले साक्षी अ.सा.–3 सरमन उर्फ भिम्मा एवं अ.सा.–5 सच्चू उर्फ संतराम ने पक्षविरोधी रहकर अभियुक्तगण में से ही किसी ने मृतक मनीष चौकसे को कट्टे से गोली मारते हुए देखने से इंकार किया है एवं न्यायालय में उपस्थिति अभियुक्तगण ही उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त होने से इंकार किया है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के जीजा अ.सा.–10 धर्मेंद्र राय ने घटनास्थल पर जाकर मृतक की तद्नुसार मृत्यु के संबंध में उक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने और आसपास भी जाकर तहकीकात कर मृतक के शरीर पर कट्टे के गोली के दो निशान एवं चाकू मारने के निशान पाए जाने की पुष्टि नहीं कर उक्त साक्षी ने पक्षविरोधी रहकर उपरोक्त की सूचना अपने मोबाईल से थाना पनागर को देने और उसकी सूचना पर संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर आकर उससे पूछताछ कर प्रदर्श पी–14 की देहाती नालसी रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज करने की पुष्टि नहीं की है।

44. इसी प्रकार अन्य साक्षी अ.सा.–1 संतोष शर्मा, अ.सा.–2 सरमन उर्फ पप्पू राय, अ.सा.–4 बसंत मरावी, अ.सा.–8 अनारी कोरी, जो तत्कालीन पार्षद रहा है, के धारा 161 दंप्रसं. के कथन के माध्यम से मृतक की हत्या करने बाबत् अभियुक्त सौरभ मिश्रा व सत्येंद्र पांडे ने अपने टीम के सदस्य अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर ग्राम कसही के गाय–बैल के बाजार में गाय–बैल के क्रय–विक्रय बाबत् हुए विवाद में किसी वंदना पटेल से मवेशियों के क्रय–विक्रय के संबध में मृतक का विवाद होने पर इसका बदला लेने के लिए वंदना पटेल के साथी अभियुक्त सौरभ मिश्रा व उनकी टीम ने घटना से पहले उक्त कसही गांव के उक्त बाजार में उपद्रव कर घटना दिन, समय व स्थान पर जाकर मृतक मनीष चौकसे को कट्टे से दो गोली मारकर व उसे चाकू से भी मारपीट कर उसकी हत्या करने का प्रकरण अभियोजन ने बनाया होना प्रकट है। जबकि उपरोक्त सभी साक्षियों ने पक्षविरोधी रहकर उपरोक्त समग्र घटना होने और उपरोक्त घटना के कारण ही उपरोक्त अभियुक्तगण ने घटना दिन, समय व स्थान पर जाकर नहर के पानी में नहा रहे गवाह सरमन उर्फ भिम्मा व सच्चू उर्फ संतराम को पत्थर मारने और ऐसा कृत्य करने से मृतक मनीष द्वारा रोकने पर अभियुक्तगण में से किसी ने उसे कट्टे से दो बार गोली मारकर और चाकू से भी मारकर उसकी हत्या करने की स्पष्ट पुष्टि

नहीं की है एवं उपरोक्त तथ्यों से इंकार किया है।

45. इसी प्रकार मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साक्षी ने अपने परीक्षण में मात्र कट्टे के फायर से चली दो गोली से ही मृतक को सीने में दो जगह गंभीर उपहति कारित होने से एवं एक अन्य उपहति से उसकी मृत्यु होना बताया है एवं प्रतिपरीक्षण में उक्त डॉक्टर साक्षी ने मृतक को चाकू के घाव से कोई उपहति नहीं पाई जाना बताया है। प्रकरण में मेमोरेण्डम व जप्ती के गवाह सहित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के गवाह पक्षविरोधी रहे होकर मेमोरेण्डम का कथन अभियुक्तगण द्वारा अपने सामने देने से इंकार कर जप्ती अनुसार जप्ती भी अपने सामने होने से इंकार किया है। साथ ही अभियुक्तगण की गिरफ्तारी भी अपने सामने होने से इंकार कर मेमोरेण्डम, जप्ती व गिरफ्तारीपत्रक पर पुलिस के कहने पर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करना बताया है, जो उक्त साक्षियों ने पक्षविरोधी घोषित करने के पहले एवं पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी उक्त कथन किए हैं।

46. प्रकरण में विवेचना अधिकारी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव तत्कालीन उपनिरीक्षक ने जप्तशुदा आर्टिकल जिसमें मृतक के कपड़े, सेंडो बनियान, जींस पेंट एवं अंडरवियर घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी, मृतक की मोटरसाइकिल के संबंधित पार्ट पर लगे पाए गए खून की दो स्लाईड एवं एक सादी स्लाईड, मृतक के सीने से पोस्टमार्टम के दौरान बरामद की गई दो बुलेट को एफ.एस.एल. जांच के लिए राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजने पर इस बाबत् प्राप्त जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–30 एवं 31 होना बताया है। उपरोक्त आर्टिकल उपरोक्तानुसार जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट के साथ भेजने बाबत् पत्र प्रदर्श पी–22 व 23 होना प्रकट है। प्रदर्श पी–30 की एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 अनुसार मृतक के शरीर पर पाई गई सेंडो बनियान में पाए गए कट के निशान जांच के लिए भेजे गए दो बुलेट से ही पाया जाना प्रकट होकर उसे एक ही स्मूथ बोर फायर आर्म से चलाने की पुष्टि का उल्लेख है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–31 की एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 अनुसार घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी व मृतक के कपड़े पेंट, बनियान व अंडरवियर पर मानव रक्त पाए जाने का उल्लेख है।

47. इसी प्रकार उपरोक्त एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट के तथ्यों को मिलान करने के लिए विवेचना अधिकारी की साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट है कि विवेचना अधिकारी अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव ने दिनांक 28.06.2016 को अभियुक्त सौरभ मिश्रा का प्रदर्श पी–1 का मेमोरेण्डम लेना बताया है। इसके साक्षी अ.सा.–1 संतोष शर्मा को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उक्त साक्षी ने अभियुक्त सौरभ मिश्रा से उसके सामने पूछताछ नहीं की थी, उक्त पूछताछ मे सौरभ मिश्रा ने सत्येंद्र पांडे के साथ ग्राम कसही नहर वाली रोड पर जाकर एक लड़के के मोटरसाइकिल पर आने पर सत्येंद्र पांडे की बहस होने पर सत्येंद्र पांडे ने अपने काले रंग के बैग से कट्टा निकालकर गोली मारने व उसके बाद दूसरी गोली भी कट्टे में भरकर उस आदमी को मारने और इससे उसकी मृत्यु होने एवं उक्त कट्टा अपने बैग में रखकर जबलपुर चले जाने और उसे बरामद करा देने का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–1 देने से इंकार किया है। उक्त मेमोरेण्डम अनुसार उक्त कट्टे से चलाए गए दो बुलेट के खोखे अभियुक्त सत्येंद्र पांडे ने अपने बैग में रखने का भी कथन देने का उल्लेख है। उपरोक्त समग्र मेमोरेण्डम कथन उक्त अभियुक्त द्वारा देने की पुष्टि उक्त विवेचना अधिकारी साक्षी अ.सा–11 के.पी. सिंह यादव निरीक्षक ने नहीं की है। इसी प्रकार उक्त विवेचना अधिकारी ने उक्त मेमोरेण्डम अनुसार अभियुक्त सौरभ मिश्रा से घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा जप्त नहीं किया है। इसके साथ ही उक्त मेमोरेण्डम अनुसार उक्त विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त सत्येंद्र पांडे द्वारा घटनास्थल से उठाए गए कट्टे से फायर किए गए दो बुलेट के खोखे भी जप्त नहीं किए हैं। इसी प्रकार उक्त विवेचना अधिकारी ने अभियोजन तथ्य अनुसार घटना में प्रयुक्त चाकू भी किसी भी अभियुक्त से जप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में घटना में प्रयुक्त कट्टा एवं चाकू जप्त नहीं होने से एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार एवं डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के समय मृतक के सीने से प्राप्त की गई दो बुलेट अभियुक्त सौरभ मिश्रा या अभियुक्तगण में से किसी एक द्वारा चलाकर घटना कारित करने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

48. इसी प्रकार विवेचना अधिकारी अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव तत्कालीन उपनिरीक्षक ने कथन किया है कि मोबाईल नंबर 7509632608, 8224866241, 9303344660 की सीडीआर चाहने बाबत् सायबर सेल को उन्होंने पत्र भेजा था। इस पर सायबर सेल से आर्टिकल ए–1ए की 82 पृष्ठों की

सीडीआर उक्त मोबाईल नंबरों की प्राप्त हुई थी। इस बाबत् धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–24 दिया है। इसके आधार पर उन्होंने अभियुक्त अतुल कुमार दुबे व लालू श्रीवास को गवाहों के समक्ष प्रदर्श पी–25 व 27 के गिरफ्तारी पत्रक से गिरफ्तार किया था। उक्त विवेचना अधिकारी साक्षी ने उक्त तीनों मोबाईल नंबर अभियुक्तगण में से किसके हैं, इस बाबत् कोई स्पष्ट साक्ष्य कथन नहीं किया है एवं उक्त मोबाईल नंबर उन्होंने किस तरह से व किससे प्राप्त किए इस बाबत् भी कोई स्पष्ट साक्ष्य कथन नहीं किया है। उक्त तीनों मोबाईल नंबर की 82 पेज की सीडीआर में उक्त मोबाईल की लोकेशन घटनास्थल सहित उसके आसपास एवं घटना के पूर्व ग्राम कसही के गाय–बैल के बाजार व उसके आसपास पाए जाने एवं उक्त नंबरों से किस व्यक्ति द्वारा किससे बात की, इस बाबत् कहां उल्लेख है, बाबत् कोई पुष्टि कथन नहीं किया है।

49. उपरोक्त समग्र साक्ष्य की स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा ही अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना दिन, समय व स्थान पर मृतक मनीष चौकसे की उससे ग्राम कसही के गाय–बैल बाजार में हुए विवाद का बदला लेने के लिए मृतक मनीष चौकसे की हत्या करने के आशय से घटनास्थल पर पांच से अधिक अभियुक्तगण का विधि विरूद्ध जमाव कर ऐसे विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए अभियुक्तगण में से किसी ने उक्त मृतक मनीष चौकसे पर कट्टे से दो फायर कर एवं चाकू से मारपीट कर उसकी हत्या करना या आपराधिक मानववध कारित करना प्रमाणित नहीं है। इससे अभियोजन प्रकरण एवं विवेचना अधिकारी की विवेचना के प्रति शंका उत्पन्न होती है। <u>इस कारण अभियोजन द्वारा दोनों विचारणीय प्रश्नों सहित संपूर्ण अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित नहीं किया है, यह निष्कर्ष में निर्णीत किया जाता है</u>।

50. उपरोक्तानुसार अभियोजन ने दोनों विचारणीय प्रश्नों सहित संपूर्ण अभियोजन प्रकरण पूर्णतः युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण प्रत्येक अभियुक्त शंका का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होने से उन्हें शंका का लाभ दिया जाकर प्रत्येक अभियुक्त को धारा 302 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

51. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके धारा 437–क दं.प्र.सं. के अध्याधीन रखते हुए मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

52. प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण फरार होकर उनके विरूद्ध धारा 173(8) दंप्रसं. के तहत् विवेचना शेष होकर उनकी गिरफ्तारी भी शेष है। इस कारण जप्तशुदा मुद्देमाल का निराकरण वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। उक्त अन्य फरार अभियुक्तगण के गिरफ्तार होकर पेश होने पर एवं इसके पश्चात् उनके संबंध में प्रकरण का निराकरण होते समय पारित होने वाले निर्णय में जप्तशुदा मुद्देमाल का निराकरण किया जाएगा। अपील/रिवीजन होने पर मान्नीय अपील/रिवीजन न्यायालय के निर्देश का पालन हो।

53. साक्ष्य के विवेचन से प्रकट है कि प्रकरण के तत्कालीन विवेचना अधिकारी अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव तत्कालीन निरीक्षक एवं अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव तत्कालीन उपनिरीक्षक ने प्रकरण में सही विवेचना नहीं कर उक्त अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव तत्कालीन निरीक्षक ने अभियुक्त सौरभ मिश्रा द्वारा दिए कथित प्रदर्श पी–1 के मेमोरेण्डम अनुसार उक्त अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा जप्त नहीं किया होकर घटनास्थल से उक्त देशी कट्टे से चलाए दो बुलेट के खोखे अभियुक्त सत्येंद्र पांडे से भी जप्त नहीं किए हैं एवं अन्य अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त नहीं किया है। इसी प्रकार अ.सा.–13 जगदीश कुमार यादव तत्कालीन उपनिरीक्षक ने प्रकरण में उल्लेखित तीन मोबाईल नंबर 7509632608, 8224866241, 9303344660 अभियुक्तगण में से किसके होना पाए गए, यह प्रकरण में स्पष्ट नहीं कर इसकी प्राप्त सीडीआर अनुसार उक्त नंबरों की लोकेशन एवं उक्त नंबरों से की गई बातचीत की कॉल डिटेल को भी प्रकरण में स्पष्ट नहीं किया है। उपरोक्त कारण से ही अभियुक्तगण इस पारित निर्णय द्वारा दोषमुक्त होना प्रकट है। इस कारण उक्त विवेचना अधिकारीगण के विरूद्ध योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को इस निर्णय की प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाए।

54. इसी प्रकार प्रकरण में घटनास्थल से जप्त मृतक की एक जोड़ी चप्पल एवं मृतक की जेब से जप्त किया गया मोबाईल एफ.एस.एल. जांच के

लिए नहीं भेजने के बावजूद अंतिम अभियोगपत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी किशनपाल सिंह यादव, जो अ.सा.–11 के.पी. सिंह यादव है, ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया एवं साक्ष्य के समय उसे प्रस्तुत कराने का प्रयास करने पर संबंधित थाने द्वारा उसे मिसप्लेस/गुम कर देना पाया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मुद्देमाल गुम करने वाले संबंधित तत्कालीन थाना प्रभारी एवं थाने के मालखाना प्रभारी के विरूद्ध भी योग्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को पूर्वोक्तानुसार लेख किया जाए।

55. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित् की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–

(राजेश नंदेश्वर)
15वें अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म0प्र0

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/–

(राजेश नंदेश्वर)
15वें अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म0प्र0

RAJESH NANDESHWAR

Digitally signed by RAJESH NANDESHWAR
Date: 2023.09.08 13:15:46 +0530